2007:CGHC:3160DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

खंडपीठ

कोरम : माननीय श्री जगदीश भल्ला, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश

रिट याचिका संख्या: 2951 / 2006

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता: कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, जिसका पंजीकृत कार्यालय

प्लॉट नंबर 42 और 43, "भारत बिल्डिंग",

दूसरी मुख्य सड़क, रेंगा नगर, तिरुचिरापल्ली – 620021।

प्रतिनिधित्व द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री आर. विजय कुमार,

पिता का नाम: श्री एम. राजा, उम्र लगभग 53 वर्ष,

निवासी: प्लॉट नंबर 42 और 43, "भारत बिल्डिंग", दूसरी मुख्य सड़क,

रेंगानगर,तिरुचिरापल्ली – 620021।

बनाम

उत्तरवादीगण: 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव ऊर्जा विभाग के सचिव, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छत्तीसगढ)।

2. छत्तीसगढ़ राज्य विघुत मंडल, द्वारा अध्यक्ष, डंगनिया, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

3. मुख्य अभियंता, हसदेव ताप विघुत स्टेशन, छत्तीसगढ़ राज्य

विघुत मंडल, कोरबा (पश्चिम), डाकघर जामनीपाली,

जिला-कोरबा, (छत्तीसगढ़)

4. पर्यवेक्षण अभियंता (पी एंड डब्ल्यू), हसदेव ताप विघुत

स्टेशन, छत्तीसगढ़ राज्य विघुत मंडल, कोरबा (पश्चिम),

डाकघर जामनीपाली, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)।

5. बॉयलर कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड, 1/5 अलेक्जेंड्रिया रोड,

तिरुचिरापल्ली – 620001।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका।

उपस्थित: श्री प्रफुल्ल भारत, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता।

श्री संजय एस अग्रवाल, राज्य / उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से शासकीय अधिवक्ता।

श्री ए.एस. गहरवार, उत्तरवादी क्रमांक 2 से 4 की ओर से अधिवक्ता।

श्री कनक तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री एम. सिद्दीकी, उत्तरवादी क्रमांक 5 की ओर से अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मौखिक आदेश

(दिनांक 25 जून, 2007 को पारित)

निम्नलिखित मौखिक आदेश **माननीय श्री जगदीश भल्ला, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश** द्वारा पारित किया गया:

यह रिट याचिका उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की निविदा को अस्वीकार कर दिया गया तथा उत्तरवादी क्रमांक 5 की निविदा को उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जिसमें मूल रूप से इस स्वीकारोक्ति को मनमानी और अधिकारियों/उत्तरवादियों द्वारा किए गए गैरकानूनी कार्यवाही के आधार पर चुनौती दी गई है।

प्रारंभिक आपत्ति उत्तरवादियों द्वारा यह उठाई गई है कि यह रिट याचिका पोषणीय नहीं है, क्योंकि– पहला तो याचिकाकर्ता ने उस तथ्य को छिपाया कि उसी विषय-वस्तु पर पहले ही एक सिविल वाद दायर किया गया था, जिसमें यथावत स्थिति बनाए रखने हेतु प्रार्थना को व्यव्हार न्यायाधीश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और दूसरा याचिकाकर्ता स्वच्छ हाथों के साथ नहीं आया, तीसरा कानून की अनभिज्ञता कोई औचित्य नहीं है और चौथा क्या

याचिकाकर्ता "बेंच हंटिंग" (प्रकरण की सुनवाई अपने पसंदीदा न्यायाधीश से करवाना ताकि अनुकूल आदेश प्राप्त किया जा सके) में संलिप्त है। उपरोक्त पृष्ठभूमि में, निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख आवश्यक है:

याचिकाकर्ता ने प्रारंभ में सिविल वाद संख्या 26-A/2006 व्यव्हार न्यायाधीश श्रेणी-2, कटघोरा, जिला कोरबा के समक्ष, उसी विषय-वस्तु पर निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ प्रस्तुत किया था:

(25) प्रार्थना :– यह की वादी इस माननीय न्यायालय से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है–

(अ)– यह कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के विरुद्ध इस आशय की घोषणात्मक आज्ञप्ति पारित किया जावे कि प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 02 के पक्ष में निविदा की स्वीकृति एवं पारित एल.ओ.आई. आदेश दिनांक 22.04.2006 अवैधानिक एवं शून्य है।

(ब) – यह कि, वादी के पक्ष में प्रतिवादी क्रमांक 01 के विरुद्ध इस आशय का स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर निषेधित किया जावे कि प्रतिवादी क्रमांक 01 के निविदा क्रमांक 021-10/आई. एण्ड सी. -1/टी.136.04 से संबंधित किसी उपकरण अथवा कार्य को प्रतिवादी क्रमांक 02 से स्वीकार न करे।

(स)– यह कि, मामले की परिस्थितियों को देखते हुए माननीय न्यायालय वादी को जो अनुतोष दिलाया जाना उचित समझे दिलायी जावे।

(द) – यह कि, वादी को प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 से वाद व्यय दिलाया जावे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता ने उपरोक्त प्रार्थनाओं का अनुवाद प्रत्युत्तर शपथ पत्र के कंडिका 3 में अंग्रेज़ी भाषा में किया है।

पक्षकारों को सुनने के उपरांत, व्यव्हार न्यायाधीश द्वारा दिनांक 10.05.2006 को पारित आदेश में याचिकाकर्ता-वादी द्वारा यथावत स्थिति बनाए रखने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। प्रारंभिक आपत्ति के अनुसार, जब याचिकाकर्ता–वादी द्वारा अंतरिम राहत के रूप में मांगी गई यथावत स्थिति बनाए रखने की प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई, याचिकाकर्ता–वादी ने"बेंच हंटिंग" में संलिप्त होते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की है,जिसमें निम्नलिखित प्रार्थनाएं की गई हैं:

"7. **<u>मांगा गया अनुतोष:</u>**

7.1 — यह कि माननीय न्यायालय कृपया कर याचिकाकर्ता कंपनी से संबंधित मामले के समस्त अभिलेखों को उत्तरवादियों के कब्जे से प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करे, ताकि इनका सादर अवलोकन किया जा सके।

7.2 — यह कि माननीय न्यायालय कृपया कर उत्प्रेषण प्रकृति की रिट जारी कर, याचिकाकर्ता कंपनी की निविदा को अस्वीकार करने के संबंध में उत्तरदाता प्राधिकरणों द्वारा लिए गए निर्णय को अवैध एवं विधि विरुद्ध घोषित करते हुए निरस्त एवं अपास्त कर दे।

7.3 — यह कि माननीय न्यायालय कृपया कर परमादेश प्रकृति की रिट जारी कर उत्तरवादियों को यह निर्देश प्रदान करे कि वे याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा प्रस्तुत निविदा को विधि तथा निविदा दस्तावेज़ों में वर्णित शर्तों एवं प्रावधानों के अनुरूप विचार करें।

7.4 — यह कि माननीय न्यायालय कृपया कर वाद की तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अन्य कोई भी उचित अनुतोष या आदेश प्रदान करे, जो न्यायोचित प्रतीत हो।

7.5 — यह कि याचिका का व्यय राशि भी प्रदान की जाए ।“

न्यायालय के नियमों के अनुसार, यह याचिकाकर्ता का कर्तव्य है कि वह याचिका के कथनों में स्पष्ट रूप से उल्लेख करे कि क्या समान विषय पर कोई वाद अन्य किसी न्यायालय में भी दायर किया गया है या नहीं। इस संबंध में तथ्य निम्नानुसार उल्लेखित किया गया है:

"याचिका के कंडिका 09 – **<u>उपलब्ध उपचार समाप्त</u>**:"

याचिकाकर्ता यह उद्घोषित करता है कि वाद की परिस्थितियों एवं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उसके समक्ष अपनी शिकायतों के निवारण हेतु इस माननीय न्यायालय की शरण में आया आने के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक उपाय शेष नहीं रह गया है|

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिका के कंडिका 10 – **<u>विषय किसी अन्य न्यायालय में लंबित नहीं है:</u>**

याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से यह घोषणा की है कि जिस विषय के संबंध में यह याचिका दायर की गई है, वह किसी अन्य विधिक न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है।

याचिकाकर्ता/वादी द्वारा सिविल न्यायालय के समक्ष लंबित वाद की वापसी हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, जब यह रिट याचिका दिनांक 21.06.2006 को प्रस्तुत की गई थी। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि रिट याचिका के कंडिका 10 में सिविल वाद की लंबितता के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। याचिकाकर्ता की यह चुप्पी उसके द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका तथा प्रत्युत्तर शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों द्वारा जांच की जानी चाहिए, जिसमें यह स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया गया है कि याचिकाकर्ता ने सिविल न्यायालय में दायर वाद का उल्लेख रिट याचिका में क्यों नहीं किया, जबकि वह विषयवस्तु समान थी। प्रत्युत्तर शपथ पत्र के कंडिका 2 में यह उल्लेख किया गया है:

"2. उत्तरवादी क्रमांक 2 से 4 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया है और यह कथन किया है कि याचिकाकर्ता को टेक्नो कमर्शियल बीड (भाग-2) के अंतर्गत उपयुक्त नहीं पाया गया था, अतः याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत मूल्य प्रस्ताव खोली ही नहीं गई। उत्तरवादी क्रमांक 2 से 4 ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने इसी लेन-देन से उत्पन्न एक सिविल वाद भी दायर किया है और इस तथ्य का उल्लेख उसने अपनी रिट याचिका में नहीं किया है । उत्तरवादीगण का यह भी कहना है कि याचिकाकर्ता द्वारा निविदा प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक अन्य औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई थीं, और इन तथ्यों के आधार पर टेक्नो कमर्शियल बीड में अयोग्य पाए जाने के कारण मूल्य निविदा को नहीं खोला गया। आगे कहा गया है कि उत्तरवादी क्रमांक 2 से 4 द्वारा लिया गया निर्णय ईमानदारीपूर्वक एवं सक्षम प्राधिकारी

द्वारा विधिपूर्वक अधिकारों के प्रयोग के तहत लिया गया था। चूंकि उत्तरवादीगण क्रमांक 2 से 4 द्वारा तथ्यों के विपरीत तर्क प्रस्तुतियां दिया गया हैं, अतः उनके द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया जाना आवश्यक है।"

उपरोक्त कंडिकाओ के अनुसार, याचिकाकर्ता ने यह स्वीकार किया है कि **याचिकाकर्ता ने उसी संव्यव्हार से उत्पन्न एक सिविल वाद दायर किया था, परंतु उसका उल्लेख रिट याचिका में नहीं किया गया है|** आगे प्रत्युत्तर शपथ पत्र के कंडिका 3 में है कि याचिकाकर्ता ने उपर्युक्त रूप से उल्लेखित सिविल वाद की प्रस्तुती को विवादित नहीं किया है और आगे यह दर्शाने का प्रयास किया है कि यद्यपि याचिकाकर्ता द्वारा दायर वाद उसी संव्यव्हार से संबंधित है, तथापि वह पूर्णतः भिन्न प्रकार के अनुतोष हेतु है। प्रत्युत्तर शपथ पत्र के कंडिका 3 में उपर्युक्त रूप से उल्लेखित प्रार्थना का हिंदी देवनागरी में अनुवादित अंश निम्नलिखित है:

"प्रत्युत्तर शपथ पत्र के कंडिका 3 — उत्तरवादी क्रमांक 2 से 4 का यह कथन कि याचिकाकर्ता ने सिविल न्यायालय के व्यव्हार न्यायाधीश , श्रेणी-II, कटघोरा, जिला-कोरबा के समक्ष एक सिविल वाद दायर किया है — अस्वीकृत नहीं किया गया है। सविनय निवेदन है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर किया गया उक्त वाद, यद्यपि उसी संव्यव्हार से उत्पन्न हुआ था, किंतु उसका उद्देश्य भिन्न प्रकार का अनुतोष प्राप्त करना था। जिस अनुतोष की मांग याचिकाकर्ता द्वारा सिविल न्यायालय के समक्ष की गई थी, वह निम्नलिखित है:

(i) एक घोषणात्मक आदेश जारी किया जाए कि प्रतिवादी संख्या 2 की निविदा को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वीकृत किया गया तथा दिनांक 22.04.2006 को प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में जारी एल ओ आई अवैध एवं शून्य है।

(ii) एक स्थायी निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में जारी की जाए, जिसके माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1 को यह आदेश दिया जाए कि वह प्रतिवादी संख्या 2 से निविदा संख्या 021-10/8&C.-1/T-136-04 के अंतर्गत कोई उपकरण प्राप्त न करे या कार्य स्वीकार न करे।

(iii) यह कि प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अन्य कोई भी उपयुक्त अनुतोष प्रदान की जाए।

(iv) प्रतिवादी संख्या 1 और 2 से वाद व्यय दिलवाया जाए।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि इस माननीय न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा मांगा गया अनुतोष उत्तरवादी प्राधिकरणों द्वारा याचिकाकर्ता की कंपनी की निविदा को अस्वीकार करने के निर्णय को रद्द करने तथा याचिकाकर्ता की कंपनी द्वारा प्रस्तुत निविदा पर विधि के अनुसार विचार करने के निर्देश की मांग से संबंधित है। इसके आगे, यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि सिविल न्यायालय तथा इस माननीय न्यायालय के समक्ष मांगे गए अनुतोष भिन्न हैं, अतः याचिकाकर्ता ने रिट याचिका के कंडिका 9 और 10 में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया। यह भी बताया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका उसी संव्यव्हार से उत्पन्न हुई है,याचिकाकर्ता ने दिनांक 19.06.2006 को सिविल न्यायालय के समक्ष उपस्थित अधिवक्ता को यह सलाह दी कि वह उसके द्वारा दायर वाद को वापस ले। याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए निर्देश के पालन में, सिविल न्यायालय के समक्ष उपस्थित अधिवक्ता ने दिनांक 22.06.2006 को वाद वापस लेने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया, साथ ही यह प्रार्थना की कि वाद वापसी आवेदन को शीघ्रता से सुना जाए। दिनांक 22.06.2006 का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवेदन अनुलग्नक-पी/4 के रूप में संलग्न किया गया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पीठासीन अधिकारी ने उक्त मामले को दिनांक 22.07.2006 को सूचीबद्ध किया था, किंतु 22.07.2006 तथा 24.08.2006 को पीठासीन अधिकारी निरीक्षण पर थे, और अंततः दिनांक 12.09.2006 को वाद अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया। दिनांक 22.06.2006 से 12.09.2006 तक की आदेश पत्रावली की प्रतियां अनुलग्नक-पी/5 के रूप में संलग्न की गई हैं। इन परिस्थितियों में, यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने इस माननीय न्यायालय से कोई तथ्य नहीं छुपाया है, क्योंकि सिविल न्यायालय तथा इस माननीय न्यायालय के समक्ष मांगें गए अनुतोष पूर्णतः भिन्न थे। अतः याचिकाकर्ता ने यह तथ्य नहीं बताया कि उसने सिविल न्यायालय में भिन्न प्रकार के अनुतोष के लिए वाद दायर किया था।

याचिकाकर्ता द्वारा यह स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया गया है कि उसने रिट याचिका के कंडिका 9 और 10 में सिविल वाद के दायर किए जाने का उल्लेख क्यों नहीं किया। हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता ने प्रत्युत्तर शपथ पत्र के कंडिका 2 और 3 में यह स्वीकार किया है कि रिट याचिका तथा सिविल वाद दोनों एक ही संव्यव्हार से उत्पन्न हुए हैं। हमने रिट याचिका दायर करने के अवसर का विश्लेषणात्मक परीक्षण भी किया है, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि चूंकि सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2006 को यथा स्थिति बनाए रखने की याचिकाकर्ता की प्रार्थना अस्वीकृत कर दी गई थी, अतः याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय का रुख किया तथा राहत को इस प्रकार रूपांतरित किया जो सामान्यतः वाद की तुलना में कुछ भिन्न हो सकती है, क्योंकि रिट याचिकाओं में प्रार्थना विशिष्ट प्रकार की रिट जारी करने के संदर्भ में की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हम सुविचारित मत रखते हैं कि याचिकाकर्ता का यह बाध्य कर्तव्य है कि वह पूर्ण निष्पक्षता के साथ सिविल वाद की लंबित स्थिति का उल्लेख करे। निस्संदेह यह स्पष्ट है कि सिविल वाद और रिट याचिका का विषयवस्तु एक ही है और याचिकाकर्ता एक ही समय पर दो समानांतर कार्यवाहियाँ नहीं चला सकता। **जय सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया(भारत संघ) एवं अन्य, ए.आई.आर.1977 एस.सी. 898** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि — "अपीलकर्ता एक ही विषय से संबंधित दो समानांतर उपचार एक साथ नहीं ले सकता।" उपर्युक्त निर्णय को हाल ही में **अरुणिमा बरुआह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया(भारत संघ) एवं अन्य, 2007 (4) एस.सी.जे.40** में भी उद्धृत किया गया है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अतिरिक्त, हम पाते हैं कि इन दोनों मामलों के तथ्यों में समानता है, अर्थात् जब यथास्थिति बनाए रखने की अंतरिम अनुतोष अस्वीकार की गई थी, तब रिट याचिका संबंधित याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई थी।

हमने आगे यह परीक्षण किया कि क्या याचिकाकर्ता इस माननीय न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों के साथ उपस्थित हुआ है। हम पाते हैं कि —(i) याचिकाकर्ता रिट याचिका के कंडिका 9 व 10 में सिविल वाद दायर किए जाने की जानकारी देने में विफल रहा; (ii) याचिकाकर्ता ने 22.06.2006 को सिविल वाद को वापस लेने हेतु जो आवेदन दिया, उसमें सिविल वाद को वापस लिया गया दर्शाते हुए यह प्रार्थना की गई थी कि जब भी आवश्यकता हो, नया वाद दाखिल करने की स्वतंत्रता दी जाए। अब प्रश्न यह उठता है कि जब याचिकाकर्ता पहले ही रिट याचिका दायर कर चुका था, तब यह स्वतंत्रता क्यों मांगी गई? इससे यह संभावित निष्कर्ष निकलता है कि यदि याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय से इच्छित अनुतोष प्राप्त नहीं होता तो वह पुनः सिविल न्यायालय जाकर वही

विषय फिर से उठाने का प्रयास करेगा। इससे यह पूर्णतः स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता दो उपचार लेना चाहता था, वह भी बिना किसी एक न्यायालय में अपने विकल्प को समाप्त किए। हमारा संदेह इस तथ्य से और भी पुष्ट होता है कि 23.06.2006 को जब इस न्यायालय द्वारा अंतरिम अनुतोष प्रदान की गई, तो उसके पश्चात याचिकाकर्ता ने सिविल वाद को वापस लेने तथा आवश्यकता पड़ने पर नया वाद प्रस्तुत करने हेतु दिए गए आवेदन को आगे बढ़ाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। यह आवेदन अंततः 12.09.2006 को अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश से बाहर निकलने का प्रयास भी किया यह बताकर कि न्यायालय ने वाद को अनुपस्थिति में खारिज कर दिया यह इंगित करते हुए कि पीठासीन न्यायाधीश दो बार अनुपलब्ध थे।

याचिकाकर्ता यह महत्वपूर्ण तथ्य उजागर करने में विफल रहा है कि उसने पहले ही एक सिविल वाद दायर कर रखा था जिसमें यथास्थिति बनाए रखने की प्रार्थना को पहले ही अस्वीकार कर दिया गया था। केवल इसी आधार पर याचिका को मुकदमे की किसी भी अवस्था में संक्षेप में खारिज किया जा सकता है। **एम.सी.डी. बनाम दिल्ली राज्य एवं अन्य (2005) 4 SCC 605** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर यह मत व्यक्त किया कि —

"विरोधी उत्तरवादी उच्च न्यायालय में अस्वच्छ हाथों के साथ आया है तथा लाभ प्राप्त करने हेतु एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ को छुपा रहा है। यह भी व्यक्त किया गया कि ऐसा व्यक्ति न्यायालय व विपक्षी पक्ष दोनों के साथ धोखाधड़ी करने का दोषी होगा। जिसका मामला असत्य पर आधारित हो, उसे मुकदमे के किसी भी अवस्था में संक्षेप में खारिज किया जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता के पास यह विकल्प नहीं था कि वह सिविल वाद लंबित रहते हुए यह रिट याचिका दायर करे और फिर प्रक्रिया में सिविल वाद को स्वतंत्रता के साथ वापस लेने हेतु आवेदन करे तथा अंततः उस वाद को त्याग दे। उक्त सिद्धांत वादों के क्षेत्र में एक नियम के रूप में अपनाया गया है। सी.पी.सी आदेश 23 नियम 1 वाद की वापसी अथवा दावे के किसी भाग को त्यागने से संबंधित है। उपनियम(3) यह संकेत करता है कि न्यायालय कुछ परिस्थितियों में वाद को वापस लेने की अनुमति दे सकता है, बशर्ते वादी को उसी विषयवस्तु पर नया वाद दाखिल करने की स्वतंत्रता दी जाए। उपनियम(4) इस प्रकार पढ़ा जाता है:

"(4) जहाँ वादी –

(क) उपनियम (1) के अंतर्गत कोई वाद या दावे का कोई भाग त्याग देता है, या

(ख) वाद या दावे का कोई भाग उपनियम (3) में वर्णित अनुमति के बिना वापस लेता है,

तो वह उन व्ययों के लिए उत्तरदायी होगा जो न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाए और वह ऐसे विषयवस्तु या दावे के उस भाग के संबंध में कोई नया वाद दाखिल करने से वर्जित रहेगा।"

अधिकार क्षेत्र का एक और रोचक प्रश्न हमारे समक्ष प्रकाश में आया है। वर्तमान मामला छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय नियमावली, 2005 के नियम 23(4) के अधीन खंडपीठ द्वारा विचारणीय है। नियम 23(4) का उल्लेख इस प्रकार है:

"23. निम्नलिखित मामलों की सुनवाई और निस्तारण खंडपीठ द्वारा किया जाएगा –

(iv) सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/स्थानीय निकायों से संबंधित अनुबंध/निविदा से संबंधित मामले।"

उक्त नियम के बावजूद, रजिस्ट्री द्वारा यह रिपोर्ट किया गया कि यह मामला माननीय एकल पीठ द्वारा विचारणीय है। अतः, इसे माननीय एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जब उपर्युक्त नियमों का सामना किया गया, तो उन्होंने रजिस्ट्री की रिपोर्ट का आश्रय लेने का प्रयास किया। इस न्यायालय के समक्ष, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता इस विवाद का खंडन नहीं कर सके कि यह याचिका खंडपीठ के समक्ष विचारणीय है। तथापि, संपूर्ण न्याय की दृष्टि से यह विधिक प्रावधान माननीय एकल पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए था।

हमें उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों में बल प्रतीत होता है, जो बेंच हंटिंग के संबंध में प्रस्तुत किए गए हैं। विभिन्न निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बेंच हंटिंग प्रवृत्ति की कठोर आलोचना की है और उसे निंदनीय ठहराया है। बेंच हंटिंग को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सरगुजा ट्रांसपोर्ट सर्विस बनाम राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, म.प्र., ग्वालियर एवं अन्य [(1987) 1 एस.सी.सी.5] तथा उपाध्याय एण्ड कंपनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [1999 (1) एस.सी.सी.81]** मामलों में अस्वीकार किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बेंच हंटिंग पर प्रतिपादित विधि को ध्यान में रखते हुए, हम यह पाते हैं कि याचिकाकर्ता के पास इस न्यायालय के समक्ष आने का कोई औचित्य नहीं था, जब पहले से एक सिविल वाद लंबित था। याचिकाकर्ता का यह कृत्य निश्चित रूप से बेंच हंटिंग की श्रेणी में आता है। उपर्युक्त तथ्यों एवं विधिक सिद्धांतों के आलोक में, जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित हैं, हम इस विचार पर पहुंचे हैं कि याचिकाकर्ता को एक ही समय में दो उपायों का लाभ लेने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, पहले सिविल न्यायालय में और फिर यह रिट याचिका दायर कर विवादित तथ्यात्मक प्रश्नों को उठाना, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस न्यायालय की असाधारण अधिकारिता में परीक्षण हेतु उपयुक्त नहीं हैं। हम इस मत पर हैं कि उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करता है, जो कि विवेकाधीन अधिकारिता, समता आधारित अधिकारिता है और इसी कारण इसे 'साम्य न्यायालय' भी कहा गया है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से स्पष्ट होता है कि यह न्याय प्रक्रिया एवं विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग का स्पष्ट मामला है। **म्युनिसिपल कॉरपोरेश ऑफ दिल्ली बनाम कमला देवी एवं अन्य [1996 (8) एस.सी.सी. 285]** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिमत प्रकट किया:

"मामले की परिस्थितियाँ और तथ्य यह दर्शाते हैं कि यह न्यायालय की प्रक्रिया और विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग का स्पष्ट मामला है। वाद में यह कथन किया गया था कि अपीलकर्ता-निगम के अधिकारी गाज़ियाबाद गए ताकि उत्तरदाता या उसके पोते-पोतियों की चल संपत्ति को कर वसूली के लिए कुर्क कर सकें, जबकि निर्धारण आदेश के तहत कर वसूली का दावा पूरी तरह असत्य था और यह केवल गाज़ियाबाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्थापित करने का एक बहाना मात्र था, क्योंकि इस संबंध में कोई दस्तावेज गाज़ियाबाद न्यायालय में दायर नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, मुकदमे की रूपरेखा तथा उसमें प्रयुक्त भाषा और शब्दों से जिसके द्वारा घोषणात्मक एवं निषेधाज्ञा मांगा गया है में स्पष्ट संकेत मिलता है कि यह न्याय प्रक्रिया को विफल करने का प्रयास था। उनका उद्देश्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह घोषणा करवाना था कि निर्धारण आदेश दिल्ली के बाहर की किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध और असंवैधानिक घोषित किया गया है | यह तथ्य कि वादी-उत्तरदाता द्वारा जानबूझकर निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने की बात को छिपाया गया,यह भी उसके दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य को दर्शाता है। मांग का बिल निर्धारण आदेश के बाद उत्तरदाता को तभी भेजा गया जब वाद दायर हो चुका था। एक बार जब सर्वोच्च न्यायालय यह संतुष्ट हो गया कि उत्तरदाता ने न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है और विधिक प्रणाली का दुरुपयोग किया है, तब उत्तरदाता के अधिवक्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों का कोई महत्व नहीं रह गया। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामलों में न्याय की रक्षा हेतु कार्यवाही करने का अधिकारी है ताकि इस प्रकार के दुरुपयोग और अनुचित कार्यवाहियों को रोका जा सके। अतः, व्यव्हार न्यायाधीश, गाज़ियाबाद के निर्णय और डिक्री को रद्द किया जाता है। उत्तरदातागण की निंदनीय कार्यप्रणाली को दृष्टिगत रखते हुए, उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे 50,000/- रुपये की अनुकरणीय व्यय का भुगतान करें। ऐसे आचरणों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि अन्य समान प्रवृत्ति वाले लोग ऐसे कार्यों में संलिप्त होने से बचें।"

इसी प्रकार की परिस्थितियों और तथ्यों की गंभीरता सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **अरूणिमा बरूआ (पूर्वीत)** मामले में समीक्षा की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त मत इस रिट याचिका को स्पष्ट रूप से आच्छादित करता है। उक्त प्रकरण में यह कहा गया कि—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"14. हालसबरीस लॉस ऑफ इंग्लैंड, चौथा संस्करण, खंड 16, पृष्ठ 874-876 में कानून इस प्रकार कहा गया है—

"1303. जो समता चाहता है, उसे समता करनी ही होगी। साम्य न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विशिष्ट अनुतोष प्रदान करते समय इस नियम पर कार्य करता है कि जो साम्य चाहता है, उसे साम्य करनी ही होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि न्यायालय किसी वादी पर केवल इसलिए मनमानी शर्तें लगा सकता है क्योंकि वह अभिलेख में उस स्थिति में है। इस नियम का अर्थ है कि जो व्यक्ति किसी दावे को लागू कराने के लिए साम्य न्यायालय की सहायता लेने आता है, उसे ऐसी कार्यवाहियों में किसी भी निर्देश का पालन करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो साम्य न्यायालय के ज्ञात सिद्धांतों के अनुसार देना उचित हो; उसे उन मामलों में न्याय करना होगा जिनके संबंध में साम्य की सहायता मांगी गई है। न्यायालय में स्थिति इसके विपरीत है; जब वादी को निर्णय का हकदार पाया जाता है, तो कानून को अपना काम करना चाहिए; कोई शर्तें नहीं लगाई जा सकतीं।

1305. जो साम्य में आता है, उसे स्वच्छ हाथों से आना चाहिए। साम्य की अदालत उस वादी को अनुतोष देने से इनकार कर देती है जिसका मुकदमे के विषय के संबंध में आचरण अनुचित रहा हो। इसे पहले इस कहावत से व्यक्त किया जाता था, "जिसने अधर्म किया है, उसे साम्य नहीं मिलेगी", और अनुतोष तब अस्वीकार कर दी जाती थी जब कोई लेन-देन वादी के धोखे या मिथ्याबयान पर आधारित हो, या जहाँ वादी ने झूठे प्रतिनिधित्व में प्राप्त किसी प्रतिभूति को लागू करने का प्रयास किया हो, या जहाँ उसने किसी ऐसे ट्रस्ट के लिए उपाय का दावा किया हो जिसे उसने स्वयं प्राप्त किया था और जिसके द्वारा उसने धन प्राप्त किया था। बाद में कहा गया कि वादी को साम्य पूर्ण आचरण या स्वच्छ हाथों से आना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुप्रयोग में, किसी व्यक्ति को उस संपत्ति पर अपना

अधिकार जताने की अनुमति नहीं होगी जिसका उसने लेनदारों को हराने या कर चोरी करने के लिए लेन-देन किया है, क्योंकि वह अपनी धोखाधड़ी की योजना बनाकर किसी मुकदमे को जारी नहीं रख सकता।

हालाँकि, यह न्यायसिद्धांत यह नहीं कहता कि न्याय व्यवस्था सामान्य रूप से हर प्रकार की दुराचारिता पर प्रहार करती है; यहाँ अपेक्षित शुद्धता उस अनुतोष से संबंधित होनी चाहिए जिसकी याचना की गई है; यह दुष्टता वैधानिक और नैतिक दोनों स्तरों पर होनी चाहिए। अतः, यदि कोई अल्पवयस्क कपट करता है, तो वह अपनी अक्षमता के बावजूद साम्य अनुतोष पाने के अधिकार से वंचित हो जाएगा। जहाँ लेनदेन स्वयं ही अवैध हो, वहाँ इस सिद्धांत की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती। साम्य में भी, ठीक वैसे ही जैसे विधि में, किसी अवैध लेनदेन के संबंध में सामान्य रूप से कोई वाद स्वीकार्य नहीं होता, परंतु यह अवैधता के आधार पर होता है, न कि वादी के दोषों के कारण।

22. **यूबीजसइबी रेमेडियम** (जहाँ अधिकार है, वहाँ उपाय है)– यह एक सुविख्यात सिद्धांत है। न्यायालय, उस व्यक्ति को राहत देने से इंकार करते हुए भी, जो कोई उचित शिकायत लेकर एक तर्कसंगत मामला प्रस्तुत करता है, उसे सुनवाई का अवसर अवश्य देता है।{देखें: भगुभाई धनाभाई खालसी(पूर्वीत)}। परंतु, इस मामले में, अपीलकर्ता ने महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया था । यह स्पष्ट है कि रिट याचिका केवल उस समय दायर की गई जब अंतरिम व्यादेश का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था । अपीलकर्ता के लिए यह आवश्यक था कि वह इस तथ्य को न्यायालय के समक्ष प्रकट करता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधिक सिद्धांतों पर विचार करते हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह स्पष्ट रूप से न्यायालय और विधि प्रक्रिया के दुरुपयोग का मामला है। अतः, रिट याचिका पोषणीय नहीं है और खारिज किया जाता है और अंतरिम अनुतोष समाप्त की जाती है। यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें याचिकाकर्ता पर अनुकरणीय व्यय लगाई जानी चाहिए। अतः, हम ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) की व्यय याचिकाकर्ता पर अधिरोपित करते हैं, जिसे याचिकाकर्ता को आज से एक माह के भीतर इस न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा करना होगा। रजिस्ट्री द्वारा उक्त राशि को छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अंततः स्थानांतरित किया जायेगा ।

हम यह भी विचारपूर्वक मत व्यक्त करते हैं कि हमारे उपरोक्त मत के बावजूद, कोई भी वादी विधि के अधीन उपचारहीन नहीं हो सकता। अतः, इस रिट याचिका का खारिज किया जाना याचिकाकर्ता को उस सिविल वाद की पुनःस्थापना हेतु आवेदन प्रस्तुत करने से वंचित नहीं करेगा, जिसे अनुपस्थिति के कारण खारिज किया गया था, और वह पूर्व में अपनाए गए उपचार को आगे बढ़ा सकता है।

हस्ताक्षरित
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

हस्ताक्षरित
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: Adv. Astha Sharma

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur